न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 70/2019 **दायर दिनांकः 03/06/2019**

उनवान

1. महावीर आयु 31 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लीलाधर आयु 29 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी।
3. नरेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र ओगडनाथ जाति नाथ निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कोटा रोड़ बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी कम 1ः— विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड़।

आदेश

दिनाक : 17/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 300 की ख0नं0 504/1317 की 0.05 है0, ख0नं0 505/1318 की 0.05 है0, ख0नं0 507 की 3.61 है0, ख0नं0 513 रकबा 0.03 है0, कुल 4 किता की 3.74 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 451 की ख0नं0 72 की 0.66 है0, ख0नं0 75/1729 की 0.15 है0, ख0नं0 76 की 2.27 है0, ख0नं0 77 की 0.94 है0 ख0नं0 79 की 0.73 है0, ख0नं0 80 की 0.08 है0, ख0नं0 467 की 0.03 है0, ख0नं0 468 की 0.04 है0, ख0नं0 469 की 0.02 है0, ख0नं0 470 की 0.01 है0, ख0नं0 471 की 0.01 है0, ख0नं0 868 की 0.17 है0, ख0नं0 1204 की 0.11 है0, ख0नं0 1206 की 0.16 है0, कुल 14 किता की 5.38 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता प्रति0 कम 1 रामचन्द्र के दर्ज खाता चली आ रही है। जो उन्हें वादीगण के दादा ओगडनाथ से प्राप्त हुई है। यह भूमि पैत्रक भूमि है। जिसमें

वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता रामचन्द्र के खाते दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर बिना पारिवारिक आवश्यकताओं के रहन बैचान करने पर आमादा रहता है। प्रति0 क्रम 1 ने खाता संख्या 451 की भूमि प्रतिवादी क्रम 3 के यहां रहन रखकर बिना पारिवारिक आवश्यकता के ऋण ले लिया है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने से तथा वादीगण का जन्म से अधिकार होने पर प्रति0 क्रम 1 से उनका हिस्सा 3/5 अलग करने के लिये दिनांक 14.05.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से उनका हिस्सा अलग करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने मना कर दिया तथा भूमि को बैचान करने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 के अवैध कृत्य को रोका जाना सम्भव नहीं है। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा 3/4 के खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि को कहीं रहन व बेचान नही करें। प्रतिवादी क्रम 1 ने खाता संख्या 451 की भूमि को प्रतिवादी क्रम 3 के यहां रहन रख रखा है इसलिये उसे पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है, लेकिन नोटिस प्रेषित कर उसकी अवधि समाप्त का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 भूमि को रहन, बैचान कर देगा जिससे अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा। इसलिये न्यायालय की अनुमति से धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है। वाद कारण दिनांक 14.05.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण हिस्से को पृथक करवाने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की डिक्री पारित जावें कि:-

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उनके हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर उनका हिस्सा पृथक खाते दर्ज कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू मे खाता संख्या 300 की कुल 4 किता रकबा 3.74 है0 भूमि तथा ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 451 की कुल 14 किता रकबा 5.38 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र के खाते दर्ज है। जो उन्हें विरासत से प्राप्त हुई है। यह भूमि पैत्रक भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार होने से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया हैः—

1. वादीगण महावीर, लीलाधर, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी तहसील अटरू के स्वामित्व, कब्जे एवं खाते व हिस्से में निम्न भूमि रहेगीः—

खाता संख्या	**खसरा नं0**	**रकबा**
300	504/1317	0.05
	505/1318	0.05
	507	3.61
	513	0.03
	कुल किता 4	रकबा 3.74 है0

2. प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र पुत्र ओगड़नाथ जाति नाथ निवासी ढोटी के हिस्से, कब्जे व स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी।

—ःग्राम व माल ढोटीः—

खाता संख्या	**खसरा नं0**	**रकबा**
451	72	0.66
	75/1729	0.15
	76	2.27
	77	0.94
	79	0.73
	80	0.08
	467	0.03
	468	0.04
	469	0.02
	470	0.01

471	0.01
868	0.17
1204	0.11
1206	0.16
14 किता	रकबा 5.38 है0

भूमि प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र के खाते, कब्जे व हिस्से में रहेगी तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक का ऋण भी इसके हिस्से पर अंकित रहेगा।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा, राजीनामा तस्दीक किया जाकर अंतिम डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 व प्रतिवादीगण की पहचान श्री नन्द सिंह राठौड़ एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम छजावा की खाता संख्या 300 कुल किता 4 रकबा 3.74 है0 प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है, व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 451 किता 14 कुल रकबा 5.38 है0 प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। शपथ पत्र अनुसार पैतृक सम्पत्ति है, तथा शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी कम 1 के वादीगण वारिसयान है। अतः आपसी सहमति से राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छजावा की खाता संख्या 300 कुल किता 4 रकबा 3.74 है0 में वादी कम 1 ल 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 451 किता 14 कुल रकबा 5.38 है0 प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 70/2019

उनवान

1. महावीर आयु 31 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लीलाधर आयु 29 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी।
3. नरेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति नाथ निवासी ढोटी।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र ओगडनाथ जाति नाथ निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कोटा रोड़ बारां।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादी क्रम 1:– विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड़।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छजावा की खाता संख्या 300 कुल किता 4 रकबा 3.74 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 451 किता 14 कुल रकबा 5.38 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 13:44:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: